



Understanding the 2025 Nobel Prize in Economics: Knowledge, Growth and Society

- The **2025 Nobel Prize in Economics** was awarded for research on the relationship between **knowledge, innovation, and economic growth**. The awarded economists — **Peter Howitt, Philippe Aghion, and Joel Mokyr** have worked on how **technological change, creative destruction, and knowledge diffusion** drive long-term growth.
 - Aghion & Howitt → known for *Endogenous Growth Theory* (innovation-driven growth).
 - **Joel Mokyr** → studied the *historical and cultural role* of knowledge in driving growth.

Key idea: Societies grow not just by having knowledge, but by ensuring wide access to it.

Mokyr's Model: Two Types of Knowledge


Joel Mokyr distinguishes between two broad kinds of knowledge:

- **Propositional Knowledge** – Theoretical or scientific knowledge; understanding *why* things work (e.g., laws of physics, chemical reactions, scientific discoveries).
- **Prescriptive Knowledge** – Practical or technical know-how; understanding *how* to make things work (e.g., how to build a machine, how to weave cloth, how to code).
- Economic growth depends on **both** — the creation of new scientific ideas *and* the spread of practical techniques that turn those ideas into production.
- However, for innovation to thrive, **knowledge must be widely shared**. If access to either type of knowledge is restricted, society's capacity to innovate and grow weakens.

Social Barriers and the Case of India's Caste System

- Prof. Menon connects Mokyr's ideas to India's own social context.
- Historically, India's **caste system** restricted access to education and knowledge. Learning was the preserve of a small elite, and others were often **violently excluded** from acquiring knowledge or practicing skilled professions. This meant that **propositional knowledge (scientific learning)** and **prescriptive knowledge (technical skills)** were both concentrated in a few hands — stifling innovation and social mobility.
- Policies like **reservations in education and jobs** were designed to correct this imbalance. They represent an effort to **democratize access to knowledge**, ensuring that historically marginalized groups can participate in economic and intellectual life.

- Menon argues that unless *all sections* of society have access to education and skills, the economy will fail to harness its full innovative potential. In other words, **knowledge inequality leads to economic stagnation**.



Contemporary Relevance: Automation and AI

Automation can increase productivity, but it can also:

- Replace routine jobs, leading to **job polarization** — where only high-skilled and low-skilled service jobs remain, while middle-skill technical jobs disappear.
- Reduce opportunities for workers to **learn practical, hands-on skills** (prescriptive knowledge), since machines do most of the work.
- This concentration of technical knowledge in a small section of society (engineers, AI developers) can again **widen the gap in access to knowledge**, similar to what caste or class barriers did historically. So, even if the economy produces more, the base of people who actually understand and can use the new technologies may shrink — which is harmful for **long-term innovation and inclusive growth**.

Broader Lessons & Policy Implications

- Knowledge creation alone is not enough; **access and diffusion** determine long-term growth.
- A society that **restricts access to knowledge** whether through caste, class, or technology **undermines its own growth potential**.
- Inclusive education and skill access** are central to innovation and sustainable development.
- Policy priorities:**
 1. Strengthen **public education systems** to ensure quality and inclusion.
 2. Keep **higher education affordable** and expand access beyond elites.
 3. Invest in **vocational training and skill development** for prescriptive (practical) knowledge.
 4. Break down **social barriers (like caste or gender)** that restrict learning opportunities.

Tribunals in India: Role, Constitutional Basis and Current Challenges

• Introduction & Context

- Tribunals are quasi-judicial bodies created to deliver **specialised and speedy justice** in specific domains such as taxation, corporate law, administrative disputes, environment, and service matters. They serve as **alternative mechanisms** to regular courts, intended to **reduce the burden on the judiciary** and ensure **technical expertise** in adjudication.
- However, over the years, the **balance of control** between the **executive and judiciary** over tribunals has become a source of prolonged friction, culminating in the **current Supreme Court challenge** to the **Tribunals Reforms Act, 2021**.

Constitutional Provisions on Tribunals

Provision	Feature / Purpose
Article 323A (inserted by 42nd Amendment, 1976)	Empowers Parliament to establish Administrative Tribunals for disputes related to public services (e.g., CAT).
Article 323B	Empowers Parliament and State Legislatures to establish tribunals for other specified matters such as taxation, land reforms, industrial disputes, elections, and consumer protection .

Evolution of Tribunal Reforms in India

- **42nd Constitutional Amendment Act, 1976** – Inserted art 323A and 323B to reduce the **burden on High Courts** and ensure **expert adjudication** in technical areas.
- **Parliament enacted the Administrative Tribunals Act, 1985**, leading to: **Central Administrative Tribunal (CAT)** (for central government employees) and **State Administrative Tribunals (SATs)** (for state employees)
- **S.P. Sampath Kumar v. Union of India (1987)**: Upheld the creation of tribunals as **substitutes to High Courts**, provided they have **independence and effective judicial review**
- **Chandra Kumar Judgment (1997)**: The **Supreme Court** ruled that Tribunals are **subject to the jurisdiction of High Courts** under **Articles 226/227** as **judicial review is a part of the basic structure**.

- The Finance Act, 2017- Merged and reorganized around **26 tribunals into 19**, aiming for “efficiency.” Empowered the **Central Government** to frame rules for **Appointments, tenure, qualifications, and service conditions** of tribunal members
- **Roger Mathew v. South Indian Bank (2019)**: Challenged the changes brought by Finance act 2017. SC struck down these rules for violating separation of powers.
- The Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021: Promulgated after the Roger Mathew case. Fixed: **Tenure** at 4 years; **Minimum age** at 50 years; made **re-appointment** possible; established **Search-cum-Selection Committee** with **executive dominance**.
- The Supreme Court again struck down these provisions in **Madras Bar Association v. Union of India (July 2021)**, calling them “arbitrary”
- The Tribunals Reforms Act, 2021 – Enacted the struck down provisions. The **Madras Bar Association** challenged this move.



Supreme Court Observations & Continuing Issues

The Court has repeatedly emphasized:

- **Judicial independence** must not be compromised.
- **Short tenures** and **executive-controlled selection** discourage competent candidates.
- **Vacancies** across tribunals render them “virtually defunct.”
- Need for a **National Tribunals Commission (NTC)** — an independent body for appointments and administration (recommended by the 272nd Law Commission and Parliamentary Committees).

Current Status (as of 2025)

- **Persistent vacancies** in major tribunals:
 - NCLT, AFT, and ITAT face significant manpower shortages.
- **Supreme Court vs. Centre confrontation** continues over **appointment timelines** and **legislative overrides**.
- The issue now represents a **broader constitutional tension** between:
 - **Judicial autonomy**, and
 - **Executive policy control**.

Other Key Challenges in the Tribunal System

- **Lack of Institutional Independence** .
- **Short Tenure and Reappointment Clause:** Four-year terms with scope for reappointment make members dependent on the executive, weakening judicial autonomy.
- **Absence of Uniform Structure** leading to unequal standards of justice.
- **Weak Accountability Mechanisms**
- **Poor Infrastructure and Logistics:** Many tribunals lack permanent premises, adequate staff, and digital access.
- **Limited Access and Awareness**
- **Erosion of Public Confidence:** Frequent policy changes, vacancies, and lack of transparency have weakened public trust in tribunal efficiency and independence.

Way Forward

- **National Tribunals Commission (NTC):** Set up an independent body for appointment, oversight, and administration of all tribunals to ensure autonomy and efficiency.
- **Uniform Structure and Tenure:** Standardize service conditions, tenure, and procedural rules across tribunals to ensure consistency and fairness.
- **Timely Appointments and Adequate Funding:** Expedite the filling of vacancies and ensure regular budgetary support for infrastructure and staffing.
- **Digital Case Management and Transparency:** Integrate all tribunals into a common digital platform to publish orders, track pendency, and improve accessibility.
- **Capacity Building:** Provide regular training and judicial orientation for technical members to enhance the quality of adjudication.
- **Judicial Impact Assessment:** Conduct assessments before creating new tribunals to evaluate caseload, resource needs, and expected outcomes.





अर्थशास्त्र में 2025 के नोबेल पुरस्कार को समझना: ज्ञान, विकास और समाज

- 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ज्ञान, नवाचार और आर्थिक विकास के बीच संबंधों पर शोध के लिए दिया गया। पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रियों - पीटर हॉवित, फिलिप अधियन और जोएल मोकिर ने इस बात पर काम किया है कि तकनीकी परिवर्तन, रचनात्मक विनाश और ज्ञान प्रसार दीर्घकालिक विकास को कैसे गति देते हैं।
 - अधियन और हॉवित → अंतर्जात विकास सिद्धांत (नवाचार-संचालित विकास) के लिए जाने जाते हैं।
 - जोएल मोकिर → ने विकास को गति देने में ज्ञान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका का अध्ययन किया।

मुख्य विचार: समाज केवल ज्ञान प्राप्त करने से ही विकसित नहीं होता, बल्कि उस तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने से भी विकसित होता है।

मोकिर का मॉडल: ज्ञान के दो प्रकार


जोएल मोकिर ज्ञान के दो व्यापक प्रकारों के बीच अंतर करते हैं:

- प्रस्तावात्मक ज्ञान - सैद्धांतिक या वैज्ञानिक ज्ञान; यह समझना कि चीजें क्यों काम करती हैं (जैसे, भौतिकी के नियम, रासायनिक अभिक्रियाएँ, वैज्ञानिक खोजें)।
- निर्देशात्मक ज्ञान - व्यावहारिक या तकनीकी जानकारी; यह समझना कि चीजों को कैसे काम करना है (जैसे, मशीन कैसे बनाएँ, कपड़ा कैसे बुनें, कोडिंग कैसे करें)।
- आर्थिक विकास दोनों पर निर्भर करता है - नए वैज्ञानिक विचारों का निर्माण और उन विचारों को उत्पादन में बदलने वाली व्यावहारिक तकनीकों का प्रसार।
- हालाँकि, नवाचार को फलने-फूलने के लिए, ज्ञान को व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार के ज्ञान तक पहुँच सीमित है, तो समाज की नवाचार करने और विकास करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है।

सामाजिक बाधाएँ और भारत की जाति व्यवस्था का मामला

- प्रोफ़ेसर मेनन मोकिर के विचारों को भारत के सामाजिक संदर्भ से जोड़ते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से, भारत की जाति व्यवस्था ने शिक्षा और ज्ञान तक पहुँच को सीमित कर दिया था। शिक्षा एक छोटे से अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित थी, और अन्य लोगों को अक्सर ज्ञान प्राप्त करने या कुशल व्यवसायों में संलग्न होने से हिंसक रूप से वंचित रखा जाता था। इसका अर्थ था कि प्रस्तावात्मक ज्ञान (वैज्ञानिक शिक्षा) और निर्देशात्मक ज्ञान (तकनीकी कौशल) दोनों ही हाथों में केंद्रित थे - जिससे नवाचार और सामाजिक गतिशीलता बाधित हो रही थी।
- शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण जैसी नीतियाँ इसी असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई गई थीं। ये नीतियाँ ज्ञान तक पहुँच को लोकांतरिक बनाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूह आर्थिक और बौद्धिक जीवन में भाग ले सकें।

- **मेनन का तर्क** है कि जब तक समाज के सभी वर्गों की शिक्षा और कौशल तक पहुँच नहीं होगी, तब तक अर्थव्यवस्था अपनी पूरी नवोन्मेषी क्षमता का दोहन करने में विफल रहेगी। दूसरे शब्दों में, ज्ञान असमानता आर्थिक गतिरोध की ओर ले जाती है।



समकालीन प्रासंगिकता: स्वचालन और एआई

स्वचालन उत्पादकता बढ़ा सकता है, लेकिन यह भी कर सकता है:

- नियमित नौकरियों का स्थान लेना, जिससे नौकरियों में ध्रुवीकरण होगा - जहाँ केवल उच्च-कुशल और निम्न-कुशल सेवा नौकरियाँ ही बचेंगी, जबकि मध्यम-कुशल तकनीकी नौकरियाँ गायब हो जाएँगी।
- श्रमिकों के लिए व्यावहारिक, व्यावहारिक कौशल (निर्देशात्मक ज्ञान) सीखने के अवसर कम हो जाएँगे, क्योंकि अधिकांश काम मशीनें ही करती हैं।
- समाज के एक छोटे से वर्ग (इंजीनियर, एआई डेवलपर) में तकनीकी ज्ञान का यह संकेंद्रण ज्ञान तक पहुँच में अंतर को फिर से बढ़ा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जाति या वर्ग की बाधाओं ने ऐतिहासिक रूप से किया था।

इसलिए, भले ही अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादन करे, लेकिन नई तकनीकों को वास्तव में समझने और उनका उपयोग करने वाले लोगों का आधार सिकुड़ सकता है - जो दीर्घकालिक नवाचार और समावेशी विकास के लिए हानिकारक है।

व्यापक सबक और नीतिगत निहितार्थ

- केवल ज्ञान सृजन ही पर्याप्त नहीं है; पहुँच और प्रसार दीर्घकालिक विकास को निर्धारित करते हैं।
- जो समाज जाति, वर्ग या तकनीक के माध्यम से ज्ञान तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है, वह अपनी विकास क्षमता को कमजोर करता है।
- समावेशी शिक्षा और कौशल तक पहुँच नवाचार और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

नीतिगत प्राथमिकताएँ:

1. गुणवत्ता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों को मज़बूत करें।
2. उच्च शिक्षा को वहनीय बनाए रखें और अभिजात वर्ग से परे पहुँच का विस्तार करें।
3. निर्देशात्मक (व्यावहारिक) ज्ञान के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करें।
4. सीखने के अवसरों को प्रतिबंधित करने वाली सामाजिक बाधाओं (जैसे जाति या लिंग) को तोड़ें।

भारत में न्यायाधिकरण: भूमिका, संवैधानिक आधार एवं वर्तमान चुनौतियाँ

परिचय एवं संदर्भ

- न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जिनकी स्थापना कराधान, कॉर्पोरेट कानून, प्रशासनिक विवाद, पर्यावरण और सेवा मामलों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए की गई है।
- ये नियमित न्यायालयों के वैकल्पिक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य न्यायपालिका पर बोझ कम करना और न्यायनिर्णयन में तकनीकी विशेषज्ञता सुनिश्चित करना है।
- हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, न्यायाधिकरणों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नियंत्रण का संतुलन लंबे समय से टकराव का कारण रहा है, जिसकी परिणति न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय में दी गई चुनौती के रूप में हुई है।

न्यायाधिकरणों पर संवैधानिक प्रावधान

प्रावधान	विशेषता / उद्देश्य
अनुच्छेद 323A	सार्वजनिक सेवाओं (जैसे, कैट) से संबंधित विवादों के लिए संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
(42वें संशोधन, 1976 द्वारा सम्मिलित)	कराधान, भूमि सुधार, औद्योगिक विवाद, चुनाव और उपभोक्ता संरक्षण जैसे अन्य निर्दिष्ट मामलों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं को न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।

भारत में न्यायाधिकरण सुधारों का विकास

- 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 - उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करने और तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ न्यायनिर्णयन सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 323A और 323B को शामिल किया गया।
- संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए) और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (SAT) (राज्य कर्मचारियों के लिए)।
- एस.पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ (1987): उच्च न्यायालयों के स्थानापन्न के रूप में न्यायाधिकरणों के निर्माण को बरकरार रखा, बशर्ते कि उनके पास स्वतंत्रता और प्रभावी न्यायिक समीक्षा हो।
- चंद्र कुमार निर्णय (1997): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायाधिकरण अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं क्योंकि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का एक हिस्सा है।

- वित्त अधिनियम, 2017- "दक्षता" के उद्देश्य से लगभग 26 न्यायाधिकरणों को मिलाकर 19 न्यायाधिकरणों में पुनर्गठित किया गया। केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता और सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया।
- रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक (2019): वित्त अधिनियम 2017 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करने के कारण इन नियमों को रद्द कर दिया।
- न्यायाधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021: रोजर मैथ्यू मामले के बाद प्रख्यापित। निश्चित: कार्यकाल 4 वर्ष; न्यूनतम आयु 50 वर्ष; पुनर्नियुक्ति संभव; कार्यकारी प्रभुत्व के साथ खोज-सह-चयन समिति की स्थापना।
- मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (जुलाई 2021) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को फिर से रद्द कर दिया और इन्हें "मनमाना" बताया।
- न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 - रद्द किए गए प्रावधानों को अधिनियमित किया। मद्रास बार एसोसिएशन ने इस कदम को चुनौती दी।



सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और सतत मुद्दे

- o न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
- o छोटे कार्यकाल और कार्यपालिका-नियंत्रित चयन सक्षम उम्मीदवारों को हतोत्साहित करते हैं।
- o न्यायाधिकरणों में रिक्तियाँ उन्हें "वस्तुतः निष्क्रिय" बना देती हैं।
- o राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (एनटीसी) की आवश्यकता - नियुक्तियों और प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र निकाय (272वें विधि आयोग और संसदीय समितियों द्वारा अनुशंसित)।

वर्तमान स्थिति (2025 तक) — न्यायाधिकरण मुद्दा संक्षेप में

• **लगातार रक्तियाँ:**

- NCLT, AFT और ITAT जैसे प्रमुख न्यायाधिकरणों में जजों व तकनीकी सदस्यों की भारी कमी बनी हुई है, जिससे मामलों का निपटारा धीमा हो रहा है।

• **नियुक्ति समयसीमा पर टकराव:**

- नियुक्ति प्रक्रिया, समयसीमा और विधायी संशोधनों (legislative overrides) को लेकर **सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार** के बीच विवाद जारी है।
- कार्यपालिका बार-बार ऐसे संशोधन लाती है जिन्हें न्यायपालिका न्यायिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप मानती है।

• **व्यापक संवैधानिक तनाव:**

यह पूरा विवाद दो मूल सिद्धांतों के बीच संघर्ष को दर्शाता है—

1. **न्यायिक स्वायत्तता (Judicial Autonomy):** न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और गुणवत्ता बनाए रखना।
2. **कार्यकारी नीति नियंत्रण (Executive Policy Control):** सरकार का प्रशासनिक और नीति निर्धारण से जुड़े क्षेत्रों में अधिक नियंत्रण रखने का प्रयास।

न्यायाधिकरण प्रणाली की अन्य प्रमुख चुनौतियाँ

1. संस्थागत स्वतंत्रता का अभाव

कई न्यायाधिकरण कार्यपालिका के प्रशासनिक नियंत्रण, नियुक्ति प्रक्रिया और बजटीय निर्भरता के कारण वास्तविक संस्थागत स्वायत्तता प्राप्त नहीं कर पाते।

2. अल्प कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था

- अधिकांश सदस्यों का कार्यकाल केवल **चार वर्ष** होता है।
 - **पुनर्नियुक्ति की संभावना** सदस्यों को कार्यपालिका पर निर्भर बना देती है।
- इससे न्यायिक निष्पक्षता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ती है।

3. एकरूप ढाँचे का अभाव

विभिन्न न्यायाधिकरणों में—

- योग्यता,
- कार्यप्रणाली,
- सेवा-शर्तें,
- प्रक्रियागत नियम

सर्वत्र भिन्न हैं, जिससे **न्याय की गुणवत्ता और मानक असमान** हो जाते हैं।

4. जवाबदेही तंत्र की कमजोरी

प्रदर्शन मूल्यांकन, आंतरिक अनुशासन, और समीक्षा तंत्र पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्रभावित होता है।

5. कमजोर आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक्स

कई न्यायाधिकरणों में—

- स्थायी भवन नहीं,
- पर्याप्त स्टाफ नहीं,
- डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम का अभाव

परिणामस्वरूप मामलों के निपटारे में देरी होती है।

6. सीमित पहुँच और जागरूकता

दूरदराज़ क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों की उपलब्धता कम है तथा लोगों में इनके अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है।

7. जन-विश्वास का क्षरण

लगातार रिक्तियाँ, बार-बार होने वाले नीतिगत परिवर्तन, और पारदर्शिता की कमी ने **लोगों के विश्वास** को कमजोर किया है।

आगे का मार्ग (Way Forward)

1. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना

एक स्वतंत्र निकाय का गठन जो सभी न्यायाधिकरणों की—

नियुक्ति, सेवा-शर्तें, प्रशासन, मूल्यांकन का संचालन करे, ताकि संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ़ हो।

2. एक समान ढाँचा और स्थिर कार्यकाल

सभी न्यायाधिकरणों के लिए—समान सेवा-शर्तें, निश्चित कार्यकाल, एकरूप प्रक्रियागत नियम ताकि न्यायिक प्रक्रिया में समरूपता और विश्वसनीयता बनी रहे।

3. समय पर नियुक्तियाँ और पर्याप्त वित्तीय समर्थन

रिक्त पदों को शीघ्र भरना और न्यायाधिकरणों को स्थिर बजट उपलब्ध कराना ताकि बुनियादी ढाँचा तथा मानव संसाधन मजबूत हो सकें।

4. डिजिटल केस मैनेजमेंट और पारदर्शिता

सभी न्यायाधिकरणों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना—

- आदेशों का प्रकाशन,
- केस ट्रैकिंग,
- पेंडेंसी विश्लेषण

इससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

5. क्षमता निर्माण (Capacity Building)

तकनीकी सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और न्यायिक अभिमुखीकरण ताकि निर्णयों की गुणवत्ता बेहतर हो सके।

6. न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन (Judicial Impact Assessment)

नए न्यायाधिकरण बनाते समय—

- संभावित मामलों की संख्या,
- संसाधनों की जरूरत,
- न्यायिक परिणाम का पहले से आकलन किया जाए।

